दिन– शुक्रवार दिनांक– 17 / 04 / 2026

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः– अपराह्न 02:00 बजे से। अवधि – 05 मिनट

केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित एक सौ छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, दो हजार तेईस को अधिसूचित कर दिया है। दो हजार तेईस में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था जो संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गयी है।

———————————————————

लोकसभा में आज एक सौ इकतीसवीं संशोधन विधेयक दो हजार छब्बीस, परिसीमन विधेयक, दो हजार छब्बीस और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, दो हजार छब्बीस पर चर्चा हो रही है। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तीनों विधेयकों पर अब से थोड़ी देर बाद मतदान होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके सांसद के. कनिमोझी ने विधेयकों का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से दो हजार तेईस में पारित महिला आरक्षण कानून को कल रात अधिसूचित करने पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि देश महिला आरक्षण के पक्ष में सहमति की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे परिसीमन से जोड़ना भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को देश के इतिहास की जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बंधक बनाने जैसा है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये तीनों विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सामाजिक बदलाव लाने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।

———————————————————

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर मुख्यधारा में लाने की शुरूआत की थी। श्री चौधरी ने पटना में कहा कि केंद्र सरकार भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को

तैंतीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रही है। इसमें सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए।

———————————————————————

पटना में आज नारी शक्ति वंदन थीम पर आधारित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ युवा कार्य और खेल मंत्रालय और माई भारत के सहयोग से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेपी गंगा पथ से दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसमें पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और लगभग चार हजार महिलाओं तथा छात्राओं ने भाग लिया।

———————————————————————

हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा के उपसभापति का पद नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए इस पद के लिए श्री हरिवंश को मनोनीत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि उनका वर्षों का अनुभव आज सदन के लिए पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी ने उनके नेतृत्व में सदन को अधिक प्रभावी होते देखा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उपसभापति विपक्ष के हितों का ध्यान रखेंगे और सदन में उन्हें पर्याप्त समय आवंटित करेंगे।

———————————————————————

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सचिवालय से भारत की जनगणना–दो हजार सत्ताईस का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जो आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य दो मई से इकतीस मई तक किया जाएगा।

———————————————————————

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।